

“मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना” अंतर्गत सोलर पम्प लगाने हेतु आवेदन

प्रति,

जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी,
म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि.,
जिला

द्वारा,

उपसंचालक/सहायक संचालक कृषि विभाग,
जिला

विषय: “मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना” अंतर्गत सोलर ऊर्जा आधारित पम्प संयंत्र हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं, स्वयं की कृषि भूमि पर सोलर पम्प संयंत्र स्थापना, “मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना” के तहत स्थापना करना चाहता/चाहती हूँ। इस सम्बन्ध में विवरण इस प्रकार है:-

(क) सामान्य जानकारी-

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	गाँव/ग्राम पंचायत	
4.	पोस्ट ऑफिस, पिनकोड नम्बर सहित	
5.	ब्लॉक(Block)	
6.	तहसील	
7.	जिला	
8.	दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर यदि कोई हो तो	
9.	ई-मेल यदि कोई हो तो	
10.	समग्र/आधार नम्बर	
11.	भूमि स्वामित्व (दस्तावेज संलग्न करें)	
12.	खसरा नम्बर	
13.	उपरोक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन	हाँ/नहीं
14.	जल स्रोत जिस पर सौर ऊर्जा आधारित पम्प संयंत्र लगाना है।	सतही जल /नदी/बाँध (स्टाप डेम)/ढाँचा/कुँआ/ट्यूबवेल (गहराई फीट)

(ख) बोरवेल/भूमिगत जल विवरण के लिये तकनीकी जानकारी :-

1.	बोरवेल का प्रकार, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच व 9 इंच	
2.	भूमिगत जल गहराई (फीट में)	
3.	बोरवेल की गहराई (फीट में)	
4.	दैनिक पानी की आवश्यकता	
5.	बोरवेल/पानी के स्रोत से सोलर पैनल हेतु छाया रहित स्थल की दूरी	

(ग) चाहे गए सोलर पम्प की जानकारी:-

क्र.	सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार	कुल राशि (रु.)	हितग्राही (किसान) अंश (रु.)	डिसचार्ज (लीटर में प्रतिदिन)	वांछित श्रेणी (केवल एक चुने) ()
1.	1 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल	1,75,480/-	17,500/-	30 मी. के लिए 42,000, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 45 मी.	
2.	2 एच.पी. डी.सी. सरफेस	2,12,395/-	21,000/-	10 मी. के लिए 180,000, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 12 मी.	
3.	2 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल	2,34,319/-	23,500/-	30 मी. के लिए 63,000, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 45 मी.	
4.	3 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल	3,41,330/-	34,000/-	30 मी. के लिए 1,05,000, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 45 मी. 50 मी. के लिए 63,000, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 75 मी. 70 मी. के लिए 42,000, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 100 मी.	
5.	5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल	4,53,680/-	68,000/-	50 मी. के लिए 100,800, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 67,200, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 45,600, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 150 मी.	
6.	5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल	4,11,950/-	68,000/-	50 मी. के लिए 91,200, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 62,400, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 40,800, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 150 मी.	
7.	7.5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल	6,45,510/-	2,60,000/-	50 मी. के लिए 1,41,750, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 94,500, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 64,125, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 150 मी.	
8.	7.5 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल	5,70,310/-	2,60,000/-	50 मी. के लिए 128,250, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 87,750, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 57,375, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 150 मी.	
9.	10 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल	9,36,250/-	4,68,000/-	50 मी. के लिए 1,89,000, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 1,26,000, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 85,500, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 150 मी.	
10.	10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल	7,14,760/-	3,57,500/-	50 मी. के लिए 1,71,000, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 1,17,000, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 76,500, शट ऑफ डॉयनेमिक हेड 150 मी.	

(घ) मैं सत्यापित करता हूँ कि इस सोलर पम्प संयंत्र का सिंचाई हेतु उपयोग करूँगा तथा इस का विक्रय या हस्तांतरण नहीं करूँगा तथा इसकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से मैं जिम्मेदार रहूँगा।

(ङ) संयंत्र स्थापना हेतु बोरवेल/संग्रहण ढाँचे की व्यवस्था मेरी स्वयं की लागत पर उपलब्ध कराई जाएगी।

- (च) मेरे द्वारा सोलर पम्प के पंजीयन हेतु अग्रिम आवेदन राशि रू. 5,000 /—मात्र “मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सी.एम. सोलर पम्प स्कीम” के पक्ष में डी.डी./ऑनलाईन/ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय में नकद भुगतान कर रसीद संलग्न है, (विस्तृत जानकारी के लिये संलग्नक-3 का अवलोकन करें)।

अग्रिम राशि जमा करने की जानकारी – डी.डी./ऑनलाईन/विभाग में नकद जमा

डी.डी. क्रमांक	बैंक का नाम	स्थान
ऑनलाईन (जानकारी संलग्नक-3 अनुसार)		
नकद भुगतान की रसीद क्रमांक	दिनांक	

- (छ) शेष हितग्राही अंशदान राशि “मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड” द्वारा प्रकरण स्वीकृत सूचना प्राप्त होने पर “मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सी.एम. सोलर पम्प स्कीम” के पक्ष में डी.डी./ऑनलाईन माध्यम से 20 दिवस में मेरे द्वारा जमा करवा दी जाएगी।

धन्यवाद।

दिनांक :-

भवदीय

संलग्न:-

हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)
मो.....

1. भू-अभिलेख की छायाप्रति।
2. पंजीयन शुल्क भुगतान की जानकारी/रसीद की छायाप्रति।
3. शपथ-पत्र। (संलग्नक-1)
4. दिशा निर्देश पर सहमति हस्ताक्षर सहित। (संलग्नक-2)
5. वित्तीय जानकारी-3 (संलग्नक-3)

मुख्यमंत्री सोलरपम्प योजना के अंतर्गत सौर जल पंपिंग संयंत्र स्थापित कराने वाले कृषक द्वारा शपथ पत्र

1. यह आवेदन मेरी भूमि के लिए है।
2. मेरे पास सिंचाई का स्थाई स्रोत है एवं सोलर पम्प हेतु वांछित जल संग्रहण ढाँचे की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था है या उपयोग है।
3. मैं निर्देशानुसार/मापदण्ड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित कराने के लिए सहमत हूँ।
4. मैं मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन राशि एवं शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने के लिए सहमत हूँ।
5. मैं सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिंग संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में लूँगा एवं इसकी सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव करूँगा।

दिनांक :-

कृषक आवेदक के हस्ताक्षर

कृषक का नाम —

पता/ग्राम —

पंचायत समिति —

तहसील —

जिला —

दूरभाष सम्पर्क कोड सहित —

मोबाईल नम्बर —

सोलर पम्प के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

(मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदक को दिशा-निर्देश)

1. यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार समस्त कृषकों के लिए लागू होगी।
2. निर्धारित आवेदन के साथ निर्धारित राशि रु. 5,000/- "मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सी.एम. सोलर पम्प स्कीम" के पक्ष में डी.डी./ऑनलाईन माध्यम से "मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल" को आवेदन के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
3. सोलर पम्प स्थल उपयुक्त/चयन न होने पर पंजीयन राशी रु. 5,000/- निगम द्वारा आवेदक को वापिस होगी।
4. निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों का लॉटरी के माध्यम से हितग्राही कृषक का चयन किया जावेगा।
5. चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिये जाने पर हितग्राही कृषक को शेष राशि "मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सी.एम. सोलर पम्प स्कीम" के पक्ष में डी.डी./ऑनलाईन माध्यम से 20 दिवस में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को देनी होगी।
6. राशि प्राप्त होने के पश्चात् लगभग 120 दिवस में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में समयावधि बढ़ाई जा सकती है।
7. सोलर पम्प की स्थापना एवं संतोषप्रद प्रदर्शन उपरांत समस्त संयंत्र हितग्राही को सौंप दिया जाएगा।
8. सोलर पम्प के कन्ट्रोलर इत्यादि में किसी भी प्रकार से छेड़-छाड़ न करें अतः खराबी आने पर पूर्णतः हितग्राही की जिम्मेदारी होगी।
9. सोलर पैनल की समय-समय पर सफाई करना आवश्यक है।
10. अधिक जानकारी के लिए निगम की मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की Website- www.mpcmsolarpump.com पर देखें।

दिनांक :-

(आवेदक का नाम)

हस्ताक्षर

आवेदक / खाता धारक बैंक की जानकारी
(ऑनलाइन एवं डी.डी. के लिए अनिवार्य जानकारी)

आवेदनकर्ता को निम्न जानकारी देना अनिवार्य है:-

1. आवेदक का नाम :-
2. आवेदक का खाता क्रमांक :-
3. खाता का प्रकार (चालू/बचत) :-
4. बैंक का नाम :-
5. बैंक शाखा:-
6. जिला का नाम :-
7. आई.एफ.एस.सी. कोड :-
8. राशि (रूपये में) व (शब्दों में) :-

कृपया सोलर पम्प की राशि निम्नलिखित खाते में जमा करें:-

- खाता क्रमांक :- 656501700232
- खाता का नाम :- "मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सी.एम. सोलर पम्प स्कीम"
- बैंक का नाम :- ICICI Bank Ltd.
- शाखा का नाम :- शिवाजी नगर शाखा, भोपाल
- आई.एफ.एस.सी. कोड :- ICIC0006565
- राशि (रूपये में) व (शब्दों में) :-
- तारीख :-